उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक– **25239–44** /ऋण/ NBCFDC/समीक्षा/2017–18 दिनांक–**04.07.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

''महत्वपूर्ण''

आप अवगत ही हैं कि NBCFDC नई दिल्ली से वित्तीय सहायता लेकर बैंक द्वारा राज्य के परिभाषित गरीबी रेखा के दोगुने आय से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों को रियायती दरों पर विभिन्न रोजगारपरक एवं आय–अर्जक योजनाओं में ऋण वितरण किया जा रहा है।

इन विशेष योजनाओं में योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31.05.2017 तक रू0 3629.28 लाख का ऋण वितरण कुल 6214 ऋण लाभार्थियों को किया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कतिपय शाखाओं द्वारा इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जबकि संदर्भित योजनाओं में ऋण वितरण की ब्याज दर 4% और 5% है।

आप यह भली–भॉति जानते हैं कि NBCFDC से बैंक को वित्तीय सहायता निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होती है। NBCFDC से बैंक द्वारा प्राप्त का गयी धनराशि को ऋण वितरण में निर्धारित अवधि मे यदि सदुपयोग नहीं किया गया, तो अवितरित ऋण राशि पर बैंक को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत NBCFDC को ब्याज का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में बैंक द्वारा NBCFDC को अवितरित धनराशि पर 8% का ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण में गति प्रदान करने हेतु समय–समय पर प्रधान कार्यालय में आयोजित बैठकों तथा लिखित रूप से अनेको बार निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु उसके बावजूद शाखा पर इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि न होना निश्चय ही आपकी अर्कमणयता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको कठोर चेतावनी के साथ सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इन विशेष योजनाओं अन्तर्गत ऋण पत्रावली तैयार कराते हुए ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय से धनमांग पत्र निर्धारित प्रारुप पर ऋण अनुभाग में प्रेषित किया जाय। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इन विशेष योजनान्तर्गत ऋण वितरण में पूर्णतः पारदर्शिता एवं गुणवत्ता रखी जाय, साथ ही उद्देश्यानुसार वसूली की किश्त मासिक/त्रैमासिक निर्धारित करते हुए शत–प्रतिशत वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाएं। यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन विशेष योजनाओं में शाखा द्वारा लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वितरण नही किया गया तो इसका विशेष उल्लेख आपकी वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि में किया जायेगा।

ह0/–
(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0 कार्या0/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय/जनपदीय,पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0कार्या0/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. योजनाधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं से प्राप्त धनमांग पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शाखाओं को धनराशि प्रेषित करने हेतु लेखा अनुभाग को पत्र प्रेषित किये जाये।
4. उप महा प्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ कि इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण हेतु मांग पत्र ऋण अनुभाग से प्राप्त होने पर सम्बंधित शाखाओं को धनराशि प्रेषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
5. उप महा प्रबन्धक(कम्प्यू0) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0,लखनऊ को बैंक की शाखाओं के ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।

ह0/–
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/ऋण)